हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 26 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–111/2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5)** जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2
दण्ड

3. संगठित अपराध।
4. संगठित अपराध के लिए दण्ड।
5. सहबद्ध अपराधों के लिए दण्ड।
6. अवैध धन रखने के लिए दण्ड।
7. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए बर्धित दण्ड।

अध्याय–3
सम्पत्ति का अभिग्रहण, कुर्की और निपटान

8. सम्पत्ति का अभिग्रहण।
9. सम्पत्ति की कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तन।
10. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या कुर्क की गई सम्पत्तियों का प्रबन्धन।

11. सम्पत्ति का निपटान।

अध्याय–4
अपराधों का प्रशमन

12. अपराधों का प्रशमन।

अध्याय–5
प्रकीर्ण

13. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. इस अधिनियम का अल्पीकरण में न होना।

हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

अपराधों के दायरे को विस्तृत करते हुए, निवारक उपायों में वृद्धि करते हुए और आपराधिक सिंडिकेटों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करते हुए विधिक ढांचे को सुदृढ़ करने, संगठित अपराध का सामना करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषा.––(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "दुष्प्रेरण" में उसके व्याकरणिक रूपान्तरणों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित निम्नलिखित सम्मिलित हैं, परंतु यह इन्हीं तक ही सीमित नहीं है,–

(i) किसी व्यक्ति को संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ने, सहायता करने या उसमें शामिल होने के लिए उकसाना;
(ii) किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी दस्तावेज, सूचना या मामले को हस्तांतरित करना, प्रकाशित करना या वितरित करना, जिससे संगठित अपराध सिंडिकेट को सहायता मिलने की संभावना हो;

(iii) किसी कार्य या चूक द्वारा जानबूझकर किसी संगठित अपराध को करने में सहायता करना; या

(iv) संगठित अपराध सिंडिकेट को वित्तीय या अन्य कोई सहायता प्रदान करना;

(ख) "सतत् विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप" से, विधि द्वारा निषिद्ध क्रिया–कलाप अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया गया हो, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप–पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हों और ऐसे न्यायालय में ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, और इसमें आर्थिक अपराध भी सम्मिलित है;

(ग) "सरकार या राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "अधिसूचना" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कोई समूह अभिप्रेत है, जो या तो अकेले या संयुक्त रूप से सिंडिकेट या गैंग (गिरोह) के रूप मे कार्य करते हुए किसी भी सतत् विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप में संलिप्त हैं;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(छ) "संपत्ति" में चल और अचल संपत्ति सम्मिलित है; और

(ज) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं, परन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता में हैं।

अध्याय–2

दण्ड

3. संगठित अपराध.––कोई भी सतत् विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं,–

(क) ऐसी दवाओं को रखना, खरीदना, परिवहन करना या आपूर्ति करना जिनमें नशे की लत लगने की संभावना हो और जो विधि के अधीन निषिद्ध हों;

(ख) पर्यावरणीय संबंधी अपराध जैसे अवैध खनन, वनों की कटाई, वन्यजीवों की तस्करी, या खतरनाक अपशिष्टों की डंपिंग;

(ग) बौद्धिक संपदा अपराध जिसमें चोरी, ब्रांडेड वस्तुओं की जालसाजी, या व्यापार रहस्यों की चोरी सम्मिलित है;

(घ) झूठे दावे और बिलिंग धोखाधड़ी से अंतर्वलित स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी;

(ङ) मानव अंगों की तस्करी जिसमें अंगों का अवैध व्यापार अंतर्वलित है;

(च) साइबर आतंकवाद जिसमें हैकिंग, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रैनसमवेयर हमले अंतर्वलित हैं;

(छ) जाली शैक्षिक प्रमाण–पत्रों और अन्य दस्तावेजों का उत्पादन और वितरण करने वाले फर्जी दस्तावेज रैकेट्स;

(ज) सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के आशय से खाद्य एवं औषधि में मिलावट;

(झ) सट्टेबाजी या आर्थिक लाभ के लिए खेल भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग,

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा के प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या किसी अन्य विधि–विरुद्ध तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भैतिक लाभ प्राप्त करने, जिसमें वित्तीय लाभ भी सम्मिलित हैं, या उग्रवाद को बढ़ावा देना; या समाज में आतंक पैदा करना संगठित अपराध माना जाएगा।

4. संगठित अपराध के लिए दण्ड.––(1) जो कोई संगठित अपराध करता है, वह यदि ऐसे उपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जो कोई धारा 3 के खंड (क) के अधीन अपराध करेगा, वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, परन्तु चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना संदत के लिए भी दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, परन्तु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(3) उप–धारा (1) और (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, जो कोई संगठित अपराध करता है वह कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु वह आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा,।

5. सहबद्ध अपराधों के लिए दण्ड.––(1) जो कोई दुष्प्रेरित करता है, संगठित अपराध करने का प्रयास करता है, षड्यंत्र करता है या जानबूझकर उसे करने में मदद करता है, या संगठित अपराध की तैयारी के लिए किसी अन्य कार्य में संलग्न होता है, तो वह कारावास, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और वह जुर्माने के लिए दायी होगा जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, तो वह कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा तथा वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा जिसने संगठित अपराध का अपराध किया है, उसे कारावास से, जो छह महीने से कम नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

परन्तु यह उपधारा ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें अपराधी के पति या पत्नी द्वारा अपराधी को आश्रय दिया गया हो या छिपाया गया हो।

6. अवैध धन रखने के लिए दण्ड.––(1) जो कोई किसी संगठित अपराध के किए जाने से या किसी संगठित अपराध आगम से प्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को अपने पास रखता है, तो उसे कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए दायी होगा जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।

(2) यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास ऐसी चल या अचल संपत्ति है या किसी समय रही है, जिसका वह संतोषजनक लेखा नहीं दे सकता, तो उसे कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा ।

7. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए बर्धित दण्ड.––कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया गया है, वह दूसरे और हर पश्चात्वर्ती अपराध पर कठोर कारावास जिसकी अवधि, दण्ड की अधिकतम अवधि की डेढ़ गुणा तक हो सकेगी, तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो जुर्माने की अधिकतम राशि का डेढ़ गुणा तक होगा, से दण्डनीय होगाः

परन्तु यह कि न्यायालय, निर्णय में कारणों को लिखित में अभिलिखित करके उस व्यक्ति पर उस जुर्माने से अधिक जुर्माना लगा सकेगा जिसके लिए वह उत्तरदायी हैः

अध्याय–3

सम्पत्ति का अभिग्रहण, कुर्की और निपटान

8. सम्पत्ति का अभिग्रहण.––(1) जहां किसी पुलिस अधिकारी, जो कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, को यदि यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति व्युत्पन्न या प्राप्त की गई है, और उसे छिपाया या अन्तरित किया जा सकता है या किसी ऐसी रीति से निपटाया जा सकता है, जिससे ऐसी संपत्ति का निपटान हो जाएगा, तो वह ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत करने के लिए लिखित में युक्तियुक्त आदेश दे सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को तामील की जाएगी।

(2) पुलिस अधिकारी, जो उप–धारा (1) के अधीन संपत्ति अभिगृहीत करता है, ऐसी जब्ती से 48 घंटे के भीतर, अपराध का संज्ञान लेने या मामले को विचारण के लिए सौंपने या विचारण के लिए अधिकारिता वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को वह किसी ऐसे मामले में ऐसे अभिग्रहण के 48 घण्टे के भीतर यथाशक्यशीघ्र, अभिग्रहण की रिपोर्ट करेगा जिसमें उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी होगी जिनके अधीन संपत्ति अभिगृहीत की गई थी और उसके बाद, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

9. सम्पत्ति की कुर्की समपहरण या प्रत्यावर्तन.——(1) जहां कोई अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्युत्पन्न या प्राप्त हुई है, तो वह पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जो उस अपराध का संज्ञान लेने या विचारण के लिए सौंपने या मामले की सुनवाई करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास, साक्ष्य लेने से पहले या बाद में, यह मानने के कारण हैं कि ऐसी सभी या कोई संपत्ति अपराध के आगम है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट नोटिस जारी कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति से चौदह दिन की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि कुर्की का आदेश क्यों न दिया जाए।

(3) जहां उप–धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई सूचना में किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित बताया गया है, वहां सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी।

(4) न्यायालय या मजिस्ट्रेट, उप–धारा (2) के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, तथा ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उन संपत्तियों के संबंध में, जो अपराध के आगम में पाई जाती हैं, कुर्की का आदेश पारित कर सकेगाः

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट चौदह दिन की अवधि के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है अथवा न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(5) उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त उप–धारा के अधीन नोटिस जारी करने से कुर्की का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करके ऐसी संपत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकेगा और ऐसा आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक धारा 10 के अधीन आदेश पारित नहीं कर दिया जाता।

10. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्तियों का प्रबंधन.——(1) न्यायालय उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां संपत्ति स्थित है, या किसी अन्य अधिकारी को, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, यथास्थिति, अभिग्रहण या कुर्की की अवधि के दौरान, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक उस संपत्ति को, जिसके संबंध में धारा 8 या धारा 9 के अधीन आदेश दिया गया है, न्यायालय के आदेश के अनुसार प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

11. संपत्ति का निपटान.——(1) यदि सपत्ति शीघ्र निपटान के अधीन है और प्राकृतिक क्षय, या यदि यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट की राय है कि इसकी बिक्री लाभकारी होगी, या यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसे बेचने का निर्देश दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात होता है कि कुर्क या अभिगृहीत संपत्ति अपराध की आगम है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को आदेश द्वारा निर्देश देगा कि वह अपराध की ऐसी आगम को ऐसे अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में आनुपातिक रूप से वितरित करे।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति पर, जिला मजिस्ट्रेट, साठ दिन की अवधि के भीतर अपराध से प्राप्त आगम को या तो स्वयं वितरित करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसा वितरण करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(4) यदि ऐसा आगम प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या कोई दावेदार निश्चित नहीं है या दावेदारों का समाधान करने के पश्चात कोई अधिशेष है, तो अपराध की ऐसी आगम सरकार के पास अभिगृहीत हो जाएगी और उसका निपटान ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो विहित की जाएं।

अध्याय–4

अपराधों का प्रशमन

12. अपराधों का प्रशमन.––(1) इस अधिनियम के अधीन न्यूनतम तीन वर्ष या उससे कम का दण्ड और जुर्माने से सम्बन्धित कोई दण्डनीय अपराध, सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पदाभिहित सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो सरकार के सचिव के नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम जुर्माने के पचहत्तर प्रतिशत की राशि से, विहित रीति से प्रशमन किया जा सकेगाः

परंतु यह कि यदि प्रशमनीय अपराध से किसी व्यक्ति को उपहति पहुंची है तो ऐसे अपराध का प्रशमन उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जाएगाः

परंतु यह और भी कि यदि न्यायालय ने अपराध का संज्ञान ले लिया है तो ऐसे अपराध का प्रशमन उस न्यायालय की अनुमति से किया जाएगा।

(2) यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण धारा 7 के अधीन बर्धित दण्ड के लिए दायी है तो ऐसे किसी अपराध का प्रशमन नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपराध का प्रशमन अभियुक्त, को दोषमुक्त करने के समान प्रभावी होगा।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

13. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.––इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

15. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, उक्त सत्रों जिनमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपर्युक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

16. किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में कार्य नहीं करना.—इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी विषय को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और न कि उसके अल्पीकरण में।

———————

उद्देश्य और कारणों का कथन

संगठित अपराध सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता और समाज की समग्र सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए, इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समर्पित कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 का उद्देश्य संगठित अपराध से निपटना, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना है। मुख्य विशेषता सम्मिलित है।

1. **व्यापक परिभाषा** : विधेयक संगठित अपराध की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर आतंकवाद, मानव अंग व्यापार और स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को शामिल आती है तथा उभरते आपराधिक खतरों पर ध्यान केन्द्रित करता है।
2. **कठोर दंड** : यह कठोर शास्तियां का विहित कल है, जिसमें मृत्यु का कारण बनने वाले अपराधों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास सम्मिलित है, साथ ही अन्य अपराधों के लिए भारी जुर्माना और कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

3. **बार–बार अपराध करने वालों के लिए शास्तियां** : लगातार आपराधिक व्यवहार को रोकने के लिए बार–बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ी हुई सजा की शुरूआत की गई है।

4. **वित्तीय नेटवर्कों को लक्ष्य बनाना** : विधेयक में अपराध सिंडिकेट से जुडी संपत्तियों को अभिगृहीत करने तथा उनकी वित्तीय नींव को कमजोर करने के उपबन्ध सम्मिलित हैं।

5. **निवारक उपायों** : विधेयक, अधिकारियों को अपराध सिंडिकेट से जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों की जांच करने और उन्हें अभिगृहीत करने के लिए अधिक प्राधिकार सशक्त करता है।

6. **अधिकारी संरक्षण** : जांच के दौरान सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है।

7. **लचीला क्रियान्वयन** : प्रस्तावित विधि के उपबन्धों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाया जा रहा है।

इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में न्याय एवं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संगठित अपराध पर अंकुश लगाना है।

इस विधेयक का उद्देश्य पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंद्र सिंह सुक्खु)
मुख्य मंत्री।

शिमला :
तारीख.....,2025

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खंड 15 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 5 OF 2025

THE HIMACHAL PRADESH ORGANISED CRIMES (PREVENTION AND CONTROL) BILL, 2025

ARRANGEMENTS OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
OF PUNISHMENTS

3. Organised Crime.
4. Punishment for Organised Crime.
5. Punishment for associated offences.
6. Punishment for possession of illicit wealth.
7. Enhanced punishment for offences after previous conviction.

CHAPTER –III
SEIZURE, ATTACHMENT AND DISPOSAL OF THE PROPERTY

8. Seizure of property.
9. Attachment, forfeiture or restoration of property.
10. Management of properties seized or attached under this Chapter.
11. Disposal of property.

CHAPTER-IV
COMPOUNDING OF OFFECES

12. Compounding of offences.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

13. Protection of action taken in good faith.
14. Power to remove difficulties.
15. Power to make rules.
16. Act not in derogation of any other law.

_____

Bill No. 5 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH ORGANISED CRIMES (PREVENTION AND CONTROL) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to strengthen the legal framework to combat organised crime by expanding the scope of offences, enhancing preventive measures, and ensuring stringent punishment for criminal syndicates and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Years of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Organised Crimes (Prevention and Control) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "abetment" with its grammatical variations and cognate expressions, includes, but not limited to, —

(i) instigating a person to associate, assist or join an organised crime syndicate;

(ii) passing on, publication or distribution of, without any lawful authority, any document, information or matter likely to assist the organised crime syndicate;

(iii) intentionally aiding, by an act or omission, the committing of an organised crime; or

(iv) rendering of any assistance, whether financial or otherwise, to the organised crime syndicate;

(b) "continuing unlawful activity" means an activity prohibited by law,undertaken by any person, either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent Court within the preceding period of ten years and that Court has taken cognizance of such offence, and includes economic offence;

(c) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;

(d) “notification” means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(e) “organised crime syndicate” means a group of two or more persons who, acting either singly or jointly, as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity;

(f) “prescribed” means prescribed by rules under this Act;

(g) “property” includes moveable and immovable property; and

(h) “section” means a section of this Act.

(2) The words and expressions used but not defined in this Act but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) shall have the meanings respectively assigned to them in that Sanhita.

CHAPTER-II
OF PUNISHMENTS

3. Organised Crime.—Any continuing unlawful activity including, but not limited to,—

(a) possessing, purchasing, transporting or supplying drugs having potential of addiction and prohibited under the law;

(b) environmental crimes such as illegal mining, deforestation, wildlife trafficking, or hazardous waste dumping;

(c) intellectual property crimes including piracy, counterfeiting of branded goods, or theft of trade secrets;

(d) healthcare fraud involving false claims, and billing fraud;

(e) human organ trafficking involving unlawful trade in organs;

(f) cyber-terrorism involving hacking, ransomware attacks on critical infrastructure;

(g) fake document rackets producing and distributing forged educational certificates and other documents;

(h) food and drug adulteration with intent to endanger public health;

(i) sports corruption and match-fixing for betting or economic advantage,

by any person or a group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence,

intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit; or promote insurgency; or to create terror in the society, shall constitute organised crime.

4. Punishment for Organised Crime.—(1) Whoever commits organised crime shall, if such offence has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees.

(2) Save as otherwise provided, whoever commits offence under clause (a) of section 3, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than two years but may extend up to fourteen years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to ten lakh rupees.

(3) Save as otherwise provided in sub-sections (1) and (2), whoever commits organised crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

5. Punishment for associated offences.—(1) Whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates the commission of an organised crime, or otherwise engages in any act preparatory to an organised crime, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand but may extend to five lakh rupees.

(2) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to five lakh rupees.

(3) Whoever, intentionally, harbours or conceals any person who has committed the offence of an organised crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand but may extend to five lakh rupees:

Provided that this sub-section shall not apply to any case in which the harbour or concealment is by the spouse of the offender.

6. Punishment for possession of illicit wealth.— (1) Whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organised crime or proceeds of any organised crime or which has been acquired through the organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees.

(2) If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or at any time has been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one

year but which may extend to imprisonment for ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees.

7. Enhanced punishment for offences after previous conviction.—Any person who has been convicted of the commission of an offence punishable under this Act shall be punished for the second and every subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the maximum term of punishment, and also be liable to fine which shall extend to one and half times of the maximum amount of fine:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding the fine for which a person is liable.

CHAPTER –III
SEIZURE, ATTACHMENT AND DISPOSAL OF THE PROPERTY

8. Seizure of property.—(1) Where a police officer, not below the rank of the Deputy Superintendent of Police, has reason to believe that any property is derived or obtained, directly or indirectly, as a result of commission of any offence under this Act, is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make a reasoned order in writing for seizing such property and a copy of such order shall be served on the person concerned.

(2) The police officer, who seizes the property under sub-section (1) shall report the seizure as expediciously as possible, and in any case within 48 hours from such seizure, report to the Court or the Magistrate having jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case apprising about the circumstances under which the property was seized and thereafter the property shall be dealt with as per the order of the Court or Magistrate, as the case may be.

9. Attachment forfeiture or restoration of property.—(1) Where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained, directly or indirectly, as a result of commission of any offence under this Act, he may, with the approval of the Superintendent of Police or Commissioner of Police, make an application to the Court or the Magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case, for the attachment of such property.

(2) If the Court or the Magistrate has reasons to believe, whether before or after taking evidence, that all or any of such properties are proceeds of crime, the Court or the Magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show cause within a period of fourteen days as to why an order of attachment shall not be made.

(3) Where the notice issued to any person under sub-section (2) specifies any property as being held by any other person on behalf of such person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(4) The Court or the Magistrate may, after considering the explanation, if any, to the show-cause notice issued under sub-section (2) and the material fact available before such Court or Magistrate and after giving a reasonable opportunity of being heard to such person or persons,

may pass an order of attachment, in respect of those properties which are found to be the proceeds of crime:

Provided that if such person does not appear before the Court or the Magistrate or represent his case before the Court or Magistrate within a period of fourteen days specified in the show-cause notice, the Court or the Magistrate may proceed to pass the ex-parte order.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), if the Court or the Magistrate is of the opinion that issuance of notice under the said sub-section would defeat the object of attachment, the Court or Magistrate may by an interim order passed ex-parte direct attachment of such property, and such order shall remain in force till an order under section 10 is passed.

10. Management of properties seized or attached under this Chapter.—(1) The Court may appoint the District Magistrate of the area where the property is situated, or any other officer as may be nominated by the District Magistrate, to perform the functions of an Administrator of such property during the period of seizure or attachment, as the case may be.

(2) The Administrator appointed under sub-section (1) shall receive and manage the property in relation to which the order has been made under section 8 or under section 9 as per the orders of the Court.

11. Disposal of property.—(1) If the property is subject to speedy and natural decay, or if the Court or Magistrate, as the case may be, is of the opinion that its sale will be beneficial, or that the value of such property is less than ten thousand rupees, the Magistrate may at any time direct it to be sold.

(2) If the Court or the Magistrate finds the attached or seized properties to be the proceeds of crime, the Court or the Magistrate shall by order direct the District Magistrate to rateably distribute such proceeds of crime to the persons who are affected by such crime.

(3) On receipt of an order passed under sub-section (1), the District Magistrate shall, within a period of sixty days distribute the proceeds of crime either by himself or authorise any officer subordinate to him to effect such distribution.

(4) If there are no claimants to receive such proceeds or no claimant is ascertainable or there is any surplus after satisfying the claimants, such proceeds of crime shall stand forfeited to the Government and shall be disposed of in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

CHAPTER-IV
COMPOUNDING OF OFFENCES

12. Compounding of offences.—(1) An offence punishable under this Act with minimum punishment of three years or less than three years and with fine, may be compounded by the Government or an officer not below the rank of a Secretary to the Government designated by the State Government by notification, in the manner as may be prescribed for a sum of seventy-five per cent. of the maximum fine provided for such offence:

Provided that if the offence being compounded has caused hurt to any person, such offence shall not be compounded without the consent of that person:

Provided further that if the court has taken cognizance of the offence, such offence shall be compounded with the permission of that court.

(2) No offence shall be compounded if the accused is, by reason of a previous conviction, liable to the enhanced punishment under section 7.

(3) The composition of an offence under this section shall have the effect of acquittal of the accused.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

13. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer of the Government or any other person exercising any powers or discharging any functions or performing any duties under this Act, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

14. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative assembly.

15. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh; and after previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

16. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force regulating any of the matters dealt with in this Act except specifically provided in this Act.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Organised crime poses a significant threat to public order, economic stability, and the overall security of society. Thus, the necessity of dedicated legal framework to effectively address this menace was being felt. The Himachal Pradesh Organised Crimes (Prevention and Control) Bill, 2025 aims to tackle organised crime, safeguarding public safety and economic stability. Key features include:

1. Broad Definition: The Bill expands the definition of organised crime to cover activities such as drug trafficking, cyber-terrorism, human organ trade, and healthcare fraud, addressing evolving criminal threats.

2. Strict Punishments: It prescribes severe penalties, including the death penalty or life imprisonment for crimes causing death, along with heavy fines and strict prison terms for other offences.

3. Repeat Offender Penalties: Enhanced punishments are introduced for repeat offenders to deter persistent criminal behaviour.

4. Targeting Financial Networks: The Bill includes provisions for seizing properties linked to crime syndicates, weakening their financial foundations.

5. Preventive Measures: The Bill empowers the officers with greater authority to investigate and seize properties suspected to be linked with crime syndicates.

6. Officer Protection: Legal protection is provided for officers acting in good faith during investigations.

7. Flexible Implementation: The State Government is being empowered to remove difficulties in implementing the provisions of proposed law and make rules.

This Bill seeks to curb organised crime in Himachal Pradesh while ensuring justice and public security.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
The ……., 2025

———

FINANCIAL MEMORANDUM

— NIL —

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 15 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purpose of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.